

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश संख्या 110 /1-12(5) देहरादून दिनांक, 29 जून, 2017


पदोन्नति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1670/x-1-2017-04(13)/2006 दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रेषित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 02.06.2017 की संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष 2016-17 उप वन क्षेत्राधिकारियों की वन क्षेत्राधिकारियों के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण/संस्तुति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। शासन के उपरोक्त पत्र के साथ प्रेषित लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्रांक संख्या 122/07/ई-1/डी0पी0सी0/2017-18 दिनांक 20.06.2017 द्वारा संस्तुत किये गये निम्न उप वन क्षेत्राधिकारियों को वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रू0 35,400-1,12,400/- से वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रू0 47,600-1,51,100/- के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र0 सं0	उप वन क्षेत्राधिकारी का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1	श्री नरदेव सिंह कण्डारी	-
2	श्री प्रेमलाल	दिनांक 31.12.2016 को सेवा निवृत्त
3	श्री गोपाल दत्त भट्ट	-
4	श्री जितेन्द्र प्रसाद पुरी	-
5	श्री मुकेश चन्द्र बड़थवाल	-
6	श्री गम्भीर सिंह पंवार	-
7	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	-
8	श्री राजेन्द्रप्रसाद डिमरी	-
9	श्री बृजमोहन भारती	-
10	श्री लाखीराम	-
11	श्री कमल लाल भारती	-
12	श्री नागेन्द्र सिंह रावत	-
13	श्री मुकुल चन्द्र शर्मा	-
14	श्री धर्मानन्द ध्यानी	-
15	श्रीमती नीलम बड़थवाल	-
16	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	-
17	श्री रमेश चन्द्र जोशी	-
18	श्री धीरेश चन्द्र बिष्ट	-
19	श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल	-
20	श्री राकेश नेगी	-

पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक वर्तमान तैनाती स्थल पर ही योगदान की सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप वन क्षेत्राधिकारियों की क्षेत्रीय रेंज में तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

यह पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर विशेष अपील संख्या 24/2013 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम प्रकाश चन्द्र पाण्डेय व अन्य तथा रिट पिटीशन संख्या 776/2013(एस.एस.) शरणपाल सिंह कुंवर बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि के अन्तिम निर्णय से बाधित रहेगा।




(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या 110 / (1) 1-125 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार को उनके पत्रांक 122/07/ई-1/डी0पी0सी0/2017-18 दिनांक 20.06.2017 के क्रम में।
2. संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून को शासन के पत्रांक 1670/x-1-2017-04(13)/2006 दिनांक 22.06.2017 के क्रम में।
3. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश की प्रति सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. उपरोक्त समस्त उप वन क्षेत्राधिकारी।
8. गार्ड फाईल।



(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।